न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/4/2024

जीसीएमएस–

दायर दिनांक– 02.07.2012

निर्णय दिनांक– 29.07.2024

1. भवीचन्द पुत्र बरना जाति मीना निवासी तिगरीया तहसील कठूमर, अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत तिगरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिगरिया पंचायत समिति कठूमर, अलवर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

2. संजय पुत्र धर्मी जाति मीना निवासी तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर।
3. शशि पुत्र धर्मी जाति मीना निवासी तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर।
4. हटीला पुत्र बरना जाति मीना निवासी तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर।
5. रमेश पुत्र बरना जाति मीना निवासी तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर।

.....................तरतीवी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.1981 विरासत इन्तकाल संख्या 129 ग्राम तिगरिया ग्रा. पं. तिगरिया कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री राधेश्याम चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट

2.श्री राधावल्लभ शर्मा, अधिवक्ता तरतीवी रेस्पोडेण्टस

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 371, 372, 373, 376, 355, 357, 359, 360, 361, 351, 365/965, 443/963, 448/964, 74, 77, वाके ग्राम तिगरिया, ग्राम पंचायत तिगरिया तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलाण्ट के पिता बरना पुत्र सोन्या की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्ट के पिता बरना के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्ध

29.7.24

तरीके से तस्दीक किया है, जबकि मृतक बरना के नाम व पहचान के दस्तावेज लिये ही उक्त इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 28.02.1981 खिलाफ कानून विधि विरूद्ध तरीके से मृतक बरना के पुत्र भवीचन्द के स्थान पर काडू अंकित कर दिया है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगौ हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 129 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 129 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 28.02.1981 से दिनांक 02.07.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 28.02.1981 वाके तिगरिया ग्राम पंचायत तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 ला0 5 ने दिनांक 15.07.2024 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 22.07.2024 को हाजिर अदालत होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के जबाव व इंतकाल की सत्य प्रतिलिपी दोषपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। बहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 129 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2024 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 129 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 129 के बारे में जानकारी दिनांक 28.02.1981 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 129 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक बरना के पुत्र भवीचन्द के स्थान पर काडू अंकित कर दिया है। इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 28.02.1981 खिलाफ कानून विधि विरूद्ध तरीके से गलत नाम तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 129 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.06.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 129 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की

29.7.24

मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण, निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 28.02.1981 वाके तिगरिया ग्राम पंचायत तिगरिया तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

—::आदेश::—

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत तिगरिया द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 129 दिनांक 28.02.1981 वाके ग्राम तिगरिया ग्राम पंचायत तिगरिया को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.7.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर